संख्या-48/2017/1048/सैंतीस-2-2017-1(65)/03

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-23 जून, 2017

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पशु/भैंसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-95/प0-2/1(17)/2017-18, दिनांक-20.06.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-44/2017/805/सैंतीस-2-2017-1(65)/03, दिनांक-14.06.2017 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पशु/भैंसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0-28.00 लाख (रूपये अठ्ठाईस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में त्रुटिवश मानक मद 18-प्रकाशन के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि से अधिक की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है। अतः त्रुटिपूर्ण होने के कारण उपरोक्त शासनादेश संख्या-44/2017/805/सैंतीस-2-2017-1(65)/03, दिनांक-14.06.2017 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-48/2017/1048(1)/सैंतीस-2-2017- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in